

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर, 2015

विषय: वेतन समिति, 2008 के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/1131/2015-16, दिनांक 30-06-2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2008 के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के संबंध में प्राप्त संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-665(1)/दस-54(एम)/2008, टी सी दिनांक 26 सितम्बर, 2013 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिपिकीय संवर्ग एवं पुस्तकालय लिपिक संवर्ग के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व व्यवस्था में संशोधन करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दिनांक 26 सितम्बर, 2013 से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- लिपिकीय संवर्ग-

क्र०	पूर्व व्यवस्था		वर्तमान व्यवस्था		
	पद नाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि
1	2	3	4	5	6
1	कनिष्ठ लिपिक-सह टंकक कनिष्ठ सहायक कार्यालय, सहायक, स्टीन लिपिक	वेतन बैंड-1 रु05200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 1900/-	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैंड-1 रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/-	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता इन्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी परिवर्तित नाम नाइलेट द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाई स्कूल हों तथा टंकण जान रखते हों। 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इन्टर मीडिएट हों तथा टंकण जान रखते हों।

2	वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक, वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक, सहायक कार्यालय अधीक्षक अथवा लिपिकीय संवर्ग में अन्य किसी नाम से	वेतन बैंड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/- 2400/- अथवा 2800/-	वरिष्ठ सहायक	वेतन बैंड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2800/-	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3	कार्यालय अधीक्षक, प्रधान सहायक, हेड असिस्टेंट	वेतन बैंड-2 रु 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु 4200/-	प्रधान सहायक	वेतन बैंड-2 रु 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु 4200/-	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।

2- पुस्तकालय लिपिक:-

क्र०	पूर्व व्यवस्था		वर्तमान व्यवस्था		
	पद नाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि
1	2	3	4	5	6
1	पुस्तकालय लिपिक	वेतन बैंड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-	पुस्तकालय सहायक	वेतन बैंड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-	पुस्तकालय सहायक के पद पर भर्ती की अर्हता इन्टरमीडिएट तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में 06 माह का प्रमाण पत्र एवं डोक्य सोसाइटी परिवर्तित नाम नाइलेट से सी0सी0सी0 लेवल का प्रमाण-पत्र निर्धारित किया जाता है।

2- उक्तानुसार उच्चीकृत वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पद धारकों का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-1345/दस-2015 दिनांक 09-10-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

विशेष सचिव।

संख्या-19/2015/581/सत्तर-2-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (2) वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- (3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- (6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/बजट-2
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञ से,

(डा0 ध्रुव पाल)

अनु सचिव।